158 24 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नीति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने, जो कि न केवल विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और सीपीएसई द्वारा विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में एक स्पष्ट नीतिगत विवरण जारी करने का निश्चय किया गया है। अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हित में सरकार ने सीपीएसई द्वारा विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक नीति के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है, जिसकी एक प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचना, मार्गदर्शन और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाया जाए।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नीति

विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की आवश्यकता

1. सरकार ने पूर्वानुमान लगाया है कि देश में गरीबी के वर्तमान स्तर को नीचे लाने के प्रयोजन से अगले दस वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में 9–10% के बीच वृद्धि होने की आवश्यकता है। अपेक्षित वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से यह अनिवार्य है कि हमारे विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 12–14% की दर से होने चाहिए। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता होगी। यह देखा गया है कि अभी हाल ही के वर्षो, जब लगातार तीन वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि 9% की दर से हुई, उस दौरान कच्चे माल की भारी कमी महसूस की गई। विनिर्माण के लिए आवश्यक कुछ कच्चा माल परिसंपत्तियां जैसे, कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अतः यदि देश अगले दशक में अपनी वृद्धि दर को दो अंकों में लाना चाहता है, तो उसे दीर्घकालिक अवधि के दौरान प्रमुख कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यहां तक कि ऐसी कच्चा माल परिसंपत्तियों, जो देश में केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, के संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जिससे कि समय पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता है। विदेशों में कच्चे माल के अधिग्रहण से देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

2. इस प्रकार सामान्यतः अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हित में और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और साथ ही रणनीतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार विदेशों में कच्चे माल से जुड़ी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने और इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विदेशों में निवेश के लिए वर्तमान प्रणाली

3. बाहर निवेश की अनुमति प्रदान करने संबंधी वित्तीय पहलुओं का वर्तमान में मार्ग निर्देशन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाता है, जबकि वास्तविक रूप से अधिग्रहण हेतु कार्रवाई सीपीएसई/संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जाती है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश में संयुक्त उद्यम (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं (अनुबंध–**I**)। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वीकार्य पूंजी लेखा लेन–देन की श्रेणियां और सीमाएं विहित की गई हैं, जहां तक ऐसे लेन–देनों के लिए विदेशी विनिमय लागू है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विदेशों में निवेश दो तरीके से किया जा सकता है अर्थात स्वचालित रूप में और अनुमोदन के आधार पर। स्वचालित रूप में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में भारतीय कंपनी अथवा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के निबल मूल्य के 400 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओबीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा अन्य भारतीय कंपनियों को स्वचालित रूप में ऑयल सेक्टर के विदेशी गैर निगमित निकायों में निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए। सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयरों में अपने निबल मूल्य के 50% तक का निवेश करने की अनुमति है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों (उदाहरण के लिए तेल, गैस, कोयला और खनिज अयस्क) में विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निबल मूल्य की 400% की सीमा के अलावा निवेश के लिए प्रस्तावों पर विचार करने की अनुमति है (अनुबंध–**I**)।

4. डीपीई ने विभिन्न श्रेणियों के सीपीएसई को वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार करने में उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुछ विहित शर्तों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन बढ़ी हुई स्वायत्तता और शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए समय–समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्ष 1997 में नवरत्न और मिनीरत्न योजनाओं तथा वर्ष 2010 में महारत्न योजना लागू करना इस दिशा में डीपीई द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयास हैं। महारत्न, नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों के कुछ पहलू विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संबंधित सीपीएसई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों के संदर्भ में

अत्यधिक उपयुक्त एवं तर्कसंगत हैं। डीपीई द्वारा जारी उपयुक्त दिशानिर्देश, जो इन श्रेणियों के सीपीएसई के लिए लागू हैं, अनुबंध–**II** के रूप में संलग्न हैं।

5. डीपीई ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मुद्दे पर अपने दिनांक 17.01.2000 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए विशेष रूप से दिशानिर्देशों का एक अन्य सेट भी जारी किया है (अनुबंध– **III**क)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इन दिशानिर्देशों का विस्तार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और अन्य नवरत्न डाउनस्ट्रीम पीएसयू के लिए किया (अनुबंध– **III**ख)। इस्पात मंत्रालय ने भी 'इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड', एक विशेष उद्देश्य वाहन द्वारा कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) व्यवस्था लागू की है (अनुबंध– **III**ग)। इसके पश्चात कोयला मंत्रालय ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई ईसीएस व्यवस्था के अंतर्गत विचार किया जाएगा (अनुबंध– **III** घ) ।

बाह्य निवेश की वर्तमान प्रणाली की खामियां (त्रुटियां)

6.1 वर्तमान प्रणाली में प्रमुख खामी सरकार की ओर से विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने हेतु अपने इरादे के संबंध में किसी विशेष प्रतिबद्धता के अभाव से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे को कभी भी अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी गई और न ही गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया गया और कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेने में हमेशा विलंब होता है।

6.2 दूसरी ओर विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रभावी तरीके से बोली लगाने के लिए समन्वित, अंतर्क्षेत्रीय पहल, जो विशेष रूप से आवश्यक है, का अभाव।

6.3 तीसरी बात यह है कि विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भारी मात्रा में निधियां आवश्यक होती हैं जो यहां तक कि हमारे बड़े सीपीएसई के पास भी हमेशा उपलब्ध नहीं होती हैं।

6.4 विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और यह महत्वपूर्ण होगा कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए और उनके पूरक के रूप में कोई व्यवस्था की जाए।

6.5 मौजूदा नीति में विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इन खामियों को दूर किया गया है। इसके अंतर्गत संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में विलयन और अधिग्रहण के जरिए और पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी निवेश करने में सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियां बढ़ाने, सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने और उच्चतर स्तर पर एकीकृत, समन्वित तंत्र के जरिए त्वरित गति से निर्णय लेने हेतु प्रावधान करने की मांग की गई है, जिसपर सीपीएसई और आवश्यकता होने पर मंत्रालयों द्वारा भरोसा किया जा सकता है।

विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया

7. उद्देश्य : इस नीति का उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीपीएसई द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को सुकर बनाने के प्रयोजन से त्वरित गति से एवं समन्वित ढंग से निर्णय लेने की प्रक्रिया लागू करना है।

8. कार्यक्षेत्रः विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में तेजी लाने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रिया विहित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध–**II** और **III** में सूचीबद्ध मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल पहलू शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य अधिग्रहण प्रक्रिया में लगनेवाले समय को कम करना, उपर्युक्त विषय को सरकार द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करना, रणनीतिक अधिग्रहण के लिए सीपीएसई को सहायता प्रदान करना और उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिसके जरिए एक समन्वित, अंतर्क्षेत्रीय कंसोर्टियम आधारित पहल की जा सकती है। निम्नलिखित व्यवस्था के बावजूद भी सीपीएसई उन्हें वर्तमान में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते रहेंगे। यह नीति डीपीई के लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार कृषि, खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों के सीपीएसई के लिए ही लागू होगी। विहित प्रक्रिया के विवरण निम्नानुसार हैं ।

9. प्रयोजनीयता : सीपीएसई, जो कि ऐसी सरकारी कंपनियां (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत यथा परिभाषित) कंपनियां हैं, जिनमें 50**%** से अधिक इक्विटी शेयरधारिता केंद्र सरकर द्वारा अपने पास रखी जाती है, ऐसे सीपीएसई की सहायक कंपनियां और जिनका पिछले तीन वर्ष से निबल लाभ कमाने का रिकॉर्ड है, वे विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु इन दिशानिर्देशों में विहित निर्णय तंत्र का लाभ उठा सकती हैं।

10. विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों की परिभाषा : विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियां शब्द की परिभाष में स्वामित्व (समान/कम/अधिकांश शेयरधारिता), अण्वेषण के लिए पट्टा, अधिकार ऑन–शोर और ऑफ–शोर परिसंपत्ति का विकास और उत्पादन, जो लाभ अर्जित कर रही है अथवा जिसके पास प्रचुर

मात्रा में आरक्षिता निधियां उपलब्ध हैं या खनिज संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधन पैदा करने की क्षमता रखती हैं, शामिल हैं, चाहे वे भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राज्य/देश /क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से अथवा निजी रूप से या संयुक्त रूप से क्यों न उत्पादन कर रही हों। बाध्यता के आधार पर किसी नॉन स्टेट एक्टर (जैसे कि सशस्त्र समूहों) द्वारा धारित क्षेत्र में कच्चा माल परिसंपत्तियों अथवा किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाली परिसंपत्तियों, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और उसके लिए बाध्य है, पर यह नीति लागू नहीं होगी।

आरंभिक सूचना और अपेक्षित सावधानी

11.1 संभावित अधिग्रहण के लिए विदेश में कच्चा माल परिसंपत्ति की उपलब्धता संबंधी किसी विश्वसनीय सूचना पर कार्य करने की सहूलियत विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव अलग–अलग कंपनियों की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए और सीपीएसई की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबद्ध होने चाहिए। सीपीएसई प्रत्यक्ष रूप से अथवा या तो भारत में या उस देश जहां लक्षित परिसंपत्ति अवस्थित है, में पंजीकृत किसी प्रतिष्ठित मर्चेंट बैंकर (जिसे संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है), के जरिए या संबंधित सीपीएसई द्वारा जारी की गई अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के उत्तर के रूप में प्राप्त ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार कर सकता है।

11.2 संबंधित सीपीएसई में अपेक्षित त्वरित सावधानी : प्रत्येक सीपीएसई आरंभ में ही यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वह प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उपलब्ध अवसरों का मूल्यांकन या तो इनहाउस विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए अथवा बाह्य परामर्शदाताओं/परामर्शदात्री फर्मों की सहायता से पारदर्शी ढंग से तकनीकी आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई दृष्टिकोण निर्मित करने के प्रयोजन से सीपीएसई प्रस्तावकर्ता से एक प्रेजेंटेशन की मांग कर सकता है, अथवा अपने किसी दल का दौरा करवा सकता है या इस बात का निर्णय करने के लिए कि उसे प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, अन्य उपाय कर सकता है।

11.3 यदि आरंभिक निर्णय प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का है, तो सीपीएसई तकनीकी, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर अपेक्षित सावधानी बरतेगा और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों /परामर्शदात्री एजेंसियों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करेगा।

11.4 लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसई के निदेशक मंडल को ऐसे प्रयोजनों से परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार बना रहेगा। इस बात का उल्लेख किया जाए कि कुछ सीपीएसई ऐसी शक्तियों का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किसी सीपीएसई को इसे आवश्यक समझना चाहिए, जी हां, वह इसके लिए विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार कर सकता है, ताकि वे कम समयावधि के नोटिस पर परामर्शदाताओं

के अनुमोदित पैनल से परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकें। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ''परामर्शदाताओं के नियोजन संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की नियम पुस्तक'' का इस्तेमाल इस संदर्भ में मार्गदर्शन हेतु किया जाए।

विदेशों में निवेश करने वाले निकाय की संरचना और स्वामित्व

12.1 इन दिशानिर्देशों के अध्यधीन लाभ कमानेवाले सीपीएसई का निदेशक मंडल या तो अकेले आधार पर अथवा संयुक्त उद्यमों (जिसे कंसोर्टियम पहल के नाम से जाना जाता है) के जरिए अन्य सीपीएसई/घरेलू निजी कंपनियों के साथ सहयोग से विदेशों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम होगा। यदि कोई सहयोग स्थापित करना अनिवार्य समझा जाता है अथवा यदि उस देश जहां लक्षित परिसंपत्ति अवस्थित है, के कानून के अंतर्गत कच्चा माल परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने हेतु पात्र होने से पहले संयुक्त उद्यम में किसी स्थानीय उद्यम की भागीदारी आवश्यक है, तो ऐसे मामले में सीपीएसई किसी विदेशी सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदारी कर सकते हैं। यदि सीपीएसई का निदेशक मंडल भागीदार (भागीदारों) को शामिल करने का निश्चय करता है, तो वह पिछले निष्पादन, कार्य अनुभव, वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं आदि सहित सुस्पष्ट मानदंडों के आधार पर भागीदार (भागीदारों) का चयन करेगा। चयन की शर्तों का निर्धारण स्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर संगत सीपीएसई के निदेशक मंडलों द्वारा किया जाएगा। यदि सीपीएसई किसी परिसंपत्ति में आंशिक इक्विटी शेयरधारिता अधिग्रहण करता है, तो लक्षित परिसंपत्ति के मौजूदा शेयरधारक (शेयरधारकों), यदि कोई है, स्वतः ही सीपीएसई में भागीदार बन जाएंगे। लाभ कमाने वाले सीपीएसई के निदेशक मंडल विलयन और अधिग्रहण के जरिए भी विदेशी अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं, अथवा विदेशों में नए उद्यम (उद्यमों) का निगमन कर सकते हैं; सीपीएसई अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी विदेश में अवसरों की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि उत्पादन साझा करार, छूट युक्त व्यवस्थाएं, सेवा संविदाएं आदि। आरबीआई जैसे प्राधिकरणों की नीतियों और प्रक्रियाओं, अवसंरचना क्षेत्र में संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों (दिनांक 21 जुलाई 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24 (24)/पीएफ–II/2009 के तहत जारी किए गए) और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य मौजूदा नियमों और विनियमों का ऐसे उद्यमों की स्थापना करते समय सीपीएसई द्वारा मार्गदर्शन के रूप में अनुपालन किया जाएगा। विदेश में किसी निवेश के बारे में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति को संबंधित सीपीएसई द्वारा सूचित किए जाने वाली मौजूदा आवश्यकता आगे भी जारी रहेगी।

12.2 आवश्यकता होने पर सीपीएसई विदेश में कच्चा माल परियोजनाओं के अधिग्रहण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) का गठन कर सकते हैं। ये एसपीवी आवश्यकता आधारित होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे एसपीवी का कोई विस्तार नहीं

होगा। संबंधित सीपीएसई को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेश में स्थित परियोजना से संबद्ध व्यापारिक जोखिमों को एसपीवी ने उनकी इक्विटी प्रतिभागिता की सीमा तक ही प्रतिबंधित रखा जाए और मूल कंपनी को ऐसे व्यापारिक जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षा दी जानी चाहिए।

12.3 उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्रस्ताव सरकारी और गैर सरकारी निदेशकों सहित निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्ताव लिखित में और पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके लिए संगत घटकों का विश्लेषण और संभावित परिणामों तथा लाभों की उचित गणना एवं निर्धारण किया जाना चाहिए। जोखिम घटकों, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय प्राथमिक रूप से सभी की सहमति से लिए जाने चाहिए। यदि ऐसे मामलों पर सभी की सहमति से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम दो तिहाई निदेशक उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा सभी सरकारी निदेशक (निदेशकों), वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक (निदेशकों) को ऐसा निर्णय लेते समय अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। आपत्तियों, असहमतियों, उन्हें ओवररूल करने के कारणों और निर्णय लिए जाने संबंधी कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए। निदेशक मंडल का निर्णय गणनीय तकनीकी आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और इसमें सामाजिक–राजनीतिक जोखिमों , प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसी विशेष क्षेत्र, देश आदि में रणनीतिक प्रवेश जैसी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई देशों में खनिज संसाधन तुलनात्मक रूप से असुरक्षित और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित हो सकते हैं। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों की सुरक्षा के मुद्दे को भी निर्णय लेते समय उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12.4 विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों का स्वामित्व परियोजना में इक्विटी निवेश के स्रोत के आधार पर संबंधित सीपीएसई/संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/ विशेष उद्देश्य वाहन के पास हो सकता है। तथापि संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रलेखित वार्ताओं के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेश में अपनी परियोजना के प्रबंधन और प्रचालन में सीपीएसई द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाए। प्रतिनिधित्व की सीमा परियोजना में इसके इक्विटी अंशदान के अनुरूप होना चाहिए।

सीपीएसई के निदेशक मंडलों को बढ़ी हुई प्रत्यायोजित शक्तियां

13.1 विदेशी प्रचालन, विशेष रूप से विदेश में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भारी मात्रा में निधियों की आवश्यकता होती है और साथ ही ऐसे विदेशी उद्यमों को शुरू करने में सीपीएसई को सहुलियत देने की भी आवश्यकता होती है। अतः लाभ कमाने वाले सीपीएसई के निदेशक मंडलों को मौजूदा प्रत्यायोजित शक्तियों में निम्नानुसार विस्तार किया गया है :

तालिका –1 : विलयन और अधिग्रहण के जरिए और संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश के लिए लाभ कमाने वाले सीपीएसई के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां

सीपीएसई की श्रेणी	मौजूदा प्रत्यायोजित शक्तियां		बढ़ी हुई प्रत्यायोजित शक्तियां	
	किसी संयुक्त उद्यम /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विलयन और अधिग्रहण अथवा इक्विटी निवेश के लिए	सभी परियोजनाओं को शामिल करने पर सीपीएसई के निबल मूल्य के % की सीमा के अध्यधीन	किसी संयुक्त उद्यम /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विलयन और अधिग्रहण अथवा इक्विटी निवेश के लिए	सभी परियोजनाओं को शामिल करने पर सीपीएसई के निबल मूल्य के % की सीमा के अध्यधीन
महारत्न	निबल मूल्य की 15% की सीमा के अध्यधीन 500 करोड़ रुपए	निबल मूल्य का 30%	निबल मूल्य की 25% की सीमा के अध्यधीन 500 करोड़ रुपए	निबल मूल्य का 40%

नवरत्न	निबल मूल्य की 15% की सीमा के अध्यधीन 1000 करोड़ रुपए	निबल मूल्य का 30%	निबल मूल्य की 25% की सीमा के अध्यधीन 3000 करोड़ रुपए	निबल मूल्य का 40%

उपर्युक्त संशोधित धन संबंधी सीमाएं इक्विटी निवेश की सीमाओं के रूप में होंगी, जिन सीमाओं तक सीपीएसई का निदेशक मंडल सरकार को कोई संदर्भ दिए बिना विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और बोली लगाने हेतु निवेश संबंधी निर्णय ले सकता है। ऐसी परियोजनाओं में इक्विटी निवेश पर निबल मूल्य के प्रतिशत के रूप में संचित सीमा की गणना इसके निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत संबंधित सीपीएसई द्वारा किए गए निवेश को जोड़कर और सरकारी अनुमोदन से प्रत्यायोजित शक्तियों से परे परियोजना में किए गए निवेश को हटाकर की जाएगी।

13.2 महारत्न और नवरत्न सीपीएसई का निदेशक मंडल विदेश में परिसंपत्तियों के विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का इस्तेमाल करता रहेगा, जिसका इस्तेमाल नए आइटमों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए किया जा सकता है।

13.3 संशोधित प्रत्यायोजित शक्तियां केवल विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ही लागू होंगी।

निदेशक मंडल स्तर से ऊपर के अनुमोदन तंत्र

14.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए अनुबंध– **III**क और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल लिमिटेड के लिए अनुबंध– **III**ख), इस्पात मंत्रालय (इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड के लिए अनुबंध– **III**ग और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए अनुबंध– **III**घ), के सचिवों की अध्यक्षता वाली सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की व्यवस्था जारी रहेगी और संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर इसके द्वारा विचार किया जाता रहेगा। सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को निर्णय के लिए सीधे आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14.2 पूर्ववर्ती पैरा में सूचीबद्ध मंत्रालयों से इतर अन्य मंत्रालय , जिनकी वर्तमान में सचिवों की कोई अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) नहीं है, वे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अनुबंध– **III**क की तरह उपयुक्त ईसीएस व्यवस्था अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत बने रहेंगे। ऐसी सचिवों की अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा की जाएगी और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के सचिव उनमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सचिवों की प्रत्येक अधिकार

प्राप्त समिति उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्राधिकृत होगी। निर्णय के लिए सीधे आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति को इसकी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने से पहले ईसीएस अंतरर्मंत्रालयी परामर्श की सुविधा प्रदान करेगी। सचिवों की नई अधिकार प्राप्त समिति के गठन संबंधी अधिसूचनाएं वित्त मंत्रालय और डीपीई द्वारा इनकी विधिवत विधीक्षा किए जाने के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की जाएंगी।

14.3 ऐसे प्रस्तावों, जो सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं और जिनके लिए समनवित पहल अथवा बजटीय सहायता की आवश्यकता होती है, के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समन्वय समिति (सीसीओएस) होगी, जिसमें विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, कानूनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग और संबंधित सीपीएसई के मंत्रालय/मंत्रालयों/विभागों के सचिव तथा निर्णय करने के लिए उपयुक्त समझे गए कोई अन्य सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति, आवश्यक होने पर उच्च मूल्य अथवा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में एक समन्वित (कंसोर्टियम) पहल को सुकर बनाएगी। विदेश में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित श्रेणी वाले प्रस्तावों को सचिवों की समन्वय समिति के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के जरिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(क) ऐसे प्रस्ताव जहां प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई किसी समन्वित दृष्टिकोण के लिए अनुरोध करता है, जबकि परिसंपत्तियों का अधिग्रहण सीपीएसई की निधियों से किया जाना है और किया जाने वाला निवेश सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत आता है;

(ख) सीसीईए को प्रस्तुत किए जाने से पहले सरकारी निधियां शामिल होने वाले सभी अधिग्रहण प्रस्ताव।

14.4 सीसीओएस निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों का मूल्यवर्धन करेगीः

क. भारतीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से बचना

ख. किसी विरोधाभास के मामले में राष्ट्र के हितों की तुलना में संबंधित सीपीएसई के हितों का पुनर्मिलान

ग. उपलब्ध अनुभव साझा करने के लिए एक फोरम उपलब्ध कराना

घ. त्वरित, समन्वित निर्णय प्रक्रिया को सुकर बनाना

ड. लक्षित देश में अवसंरचना विकास की संभावना तलाशना

च. प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हेतु बदले में विदेशी उद्यम/सरकार को छूट प्राप्त क्रेडिट की समन्वित स्वीकृति।

छ. विदेश में निवेश प्रस्ताव के लिए सरकारी निधियन और इसके स्वरूप (अनुदान, ऋण अथवा इक्विटी) के संबंध में सिफारिश करना।

विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु निधियनः

15.1 अधिग्रहण के साथ–साथ अवसंरचना के विकास सहित विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु निधियों की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों का समाधान मामला दर मामला आधार पर सचिवों की समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा।

15.2 कुछ समय पश्चात सरकार एक समर्पित संप्रभु निधिकोष के गठन पर विचार करेगी, जिसका सदुपयोग विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में किए जाने वाले निवेश के लिए वित्तपोषण हेतु कॉर्पस निधि के रूप में किया जा सकेगा।

सचिवों की समन्वय समिति को सेवाएं :

16.1 सीसीओएस को लोक उद्यम विभाग द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो संबंधित मंत्रालयों के घनिष्ठ सहयोग में केवल समन्वय से संबंधित कार्यकलापों को पूरा करेगा।

16.2 इस प्रयोजन से लोक उद्यम विभाग में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। डीपीई इस प्रकोष्ठ को प्रचालनरत बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित अतिरिक्त कार्मिक, आवास और निधियों के लिए प्राधिकृत होगा :

क. अर्हता, अनुभव और मेहनताने के संबंध में योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दो वरिष्ठ परामर्शदाता, छह परामर्शदाता और दो भर्ती किए गए युवा पेशेवर;

ख. सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास 2000 वर्गफुट क्षेत्रफल का एक अतिरिक्त फ्लोर किराए पर लिया जाएगा।

ग. निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार इस प्रकोष्ठ की प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त समर्पित बजटीय परिव्ययः

डीपीई में विदेशी परिसंपत्ति प्रकोष्ठ के लिए बजट अनुमान			
मद	संख्या	प्रति व्यक्ति मासिक प्रभार (रु.)	वार्षिक परिव्यय (रु.)
परामर्शदाता – युवा पेशेवर	2	40,000	9,60,000

परामर्शदाता	6	70,000	50,40,000
वरिष्ठ परामर्शदाता	2	1,00,000	24,00,000
सचिवालयी/आशुलिपिकीय सहायकता के लिए स्टाफ	5	20,000	12,00,000
उपस्कर/उपकरण (एकमुश्त)			15,00,000
2,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले स्थल का किराया	100 रु. प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से		24,00,000
उप जोड़			1,35,00,000
कार्यालय व्यय	10%		13,50,000
सकल योग (रु.)			1,48,50,000
			अर्थात 1.5 करोड़ रु.

16.3 यदि सीपीएसई/मंत्रालय सीसीओएस से संपर्क करने का निश्चय करता है, तो वह डीपीई को प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। डीपीई विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर उनकी टिप्पणियों के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव के विवरण सीसीओएस के सदस्यों को परिचालित करेगा। संबंधित सीपीएसई/मंत्रालय अपने अधिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में एक नोडल अधिकारी मनोनीत करेगा, जिससे कि डीपीई में इस प्रकोष्ठ /सीसीओएस के साथ पूरी तरह से समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

16.4 डीपीई जितनी जल्दी संभव होगा, परंतु प्रस्ताव के विवरण प्राप्त होने से 2 सप्ताह के बाद नहीं, विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर सीसीओएस की एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें इस बात का निश्चय किया जाएगा कि प्रस्ताव पर अकेले आधार पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए अथवा प्रस्ताव को विभिन्न सीपीएसई/ निजी क्षेत्र की कंपनियों के कंसोर्टियम द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए या एक पैकेज डील के रूप में इस संबंध में बातचीत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीसीओएस ऐसी अवसंरचना के बारे में निर्णय लेगी, जिसका विकास पैकेज के भाग के रूप में किया जा सकता है। साथ ही लचीले ऋण, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना सहित प्रदान की जा सकने वाली अन्य आवश्यक सहायता पर भी विचार किया जाएगा।

16.5 विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में शामिल सीपीएसई, विशेष रूप से ऐसे सीपीएसई जो ऑयल और गैस, कोयला और खनिज क्षेत्रों से जुड़े हैं, वे दीर्घकालिक वित्तपोषण योजनाओं का भी विकास करेंगे, जिसमें उनके आंतरिक संसाधनों और निबल मूल्य का उपयुक्त ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

विविध

17. डीपीई के शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी दिशानिर्देशों में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी सीपीएसई का रत्न (मिनी/नव/महा) दर्जा महज इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वह विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकारी निधियां प्राप्त कर रहा है।

18. विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा (समाधान): सीपीएसई द्वारा विदेश में अधिग्रहीत की गई सभी कच्चा माल परिसंपत्तियों के मामले में उपयुक्त खंड शामिल किए जाने चाहिए, जिनमें यथासंभव भारतीय/आपसी सहमति के आधार पर विवाद निराकरण व्यवस्था (व्यवस्थाओं) के क्षेत्राधिकार का उल्लेख होना चाहिए।

19. विदेशों में स्थापित उद्यमों से बाहर आना: प्रत्येक धारक कंपनी विदेशी में अपनी ऐसी सहायक कंपनियों /संयुक्त उद्यमों/एसपीवी, जिनका गठन नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा किया जाएगा, में शेयरों के स्थानांतरण, नए सिरे से इक्विटी शामिल करने और शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्राधिकृत होगी कि संबंधित सहायक कंपनी /संयुक्त उद्यमों/एसपीवी की सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान (साख) परिवर्तित नहीं होगी और धारक सीपीएसई अपनी सहायक कंपनी /संयुक्त उद्यमों/एसपीवी से बाहर नहीं आता है । यदि विदेश में सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम/एसपीवी का गठन सरकार के अनुमोदन से अथवा सरकारी निधियों के अंशदान से किया जाता है, तो विदेशी उद्यम की सार्वजनिक क्षेत्र में साख को परिवर्तित करने की स्थिति में अथवा सीपीएसई को अपनी सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसपीवी से बाहर निकलने की स्थिति में शेयरों के हस्तांतरण, नए सिरे से इक्विटी शामिल करने और शेयरधारिता वापस लेने के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

20. ज्यादातर क्षेत्रों में कच्चा माल परिसंपत्तियां भूमिगत होती हैं और इसलिए हमेशा यह संभव नहीं होता है कि किसी निश्चित परिसंपत्ति से कच्चा माल की संभावित उपलब्धता का सही–सही पूर्वानुमान लगाया जा सके। चूंकि वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और विदेश में आक्रामक तरीके से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रयोजन से कंपनियों को समयबद्ध आधार पर निर्णय करने होंगे, जिनमें व्यापारिक जोखिम (खतरे) निहित होंगे जैसे कि इस प्रकार के निर्णय तत्कालीन समय में किए गए मूल्यांकन पर आधारित होंगी। इस बात की संभावना बनी रहेगी कि परिसंपत्ति का वास्तविक निष्पादन आरंभिक निर्णय लेते समय किए गए मूल्यांकन से भिन्न हो। सामान्यतः लेखापरीक्षा/बाद में सीबीसी से प्राप्त होने वाली आपत्तियों के भय से इस प्रकार के जोखिमों से बचने का प्रयास किया जाता है। चूंकि वाणिज्यिक जोखिम लेना व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में इसमें निहित होता है, अतः संगठन को धन संबंधी अथवा गैर धन संबंधी किसी भी प्रकार की हानि को

सतर्कता जांच की विषयवस्तु बनाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार विहित नियमों, विनियमों और अनुदेशों की परिधि में कार्य करने वाले सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति भी संगठन के वाणिज्यिक/प्रचालनात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लेगा, जो कि मामले के तथ्यों के निर्धारण हेतु एक संभावित मानदंड है। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर तथ्यों की मौजूदगी को दर्शा सकता है। दूसरी ओर, नकारात्मक उत्तर हो सकता है कि उनके न होने अर्थात अनुपस्थिति को इंगित करता है (कृपया केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 13 अप्रैल 2004 के आदेश संख्या 23/04/04 का संदर्भ ग्रहण करें)। अतः इस नीति में बताए अनुसार विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी निर्णय लेते समय जहां एक ओर विहित नियमों, विनियमों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर मौजूदा परिस्थितियों, संगठन के वाणिज्यिक हितों और वैकल्पिक परिदृश्यों का मूल्यांकन करते हुए निर्णय प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से प्रलेखन किया जाना चाहिए, साथ ही लागत लाभ और एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण आदि जैसे आवश्यक टूलों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपेक्षित सावधानी प्रक्रिया का भी बुद्धिमत्ता के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए और सीपीएसई को होने वाली क्षति से न केवल बचाने बल्कि निर्णयकर्ताओं के तथ्यों को भी सत्य सिद्ध करने के लिए विदेशों में किए जाने वाले निवेश के प्रत्येक चरण पर की गई कार्रवाई का प्रलेखन किया जाना चाहिए।

21. विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित इसके मिशनों को बाद वाले चरणों में शामिल करने के बजाय इस प्रक्रिया के प्रारंभ से ही उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय अपने सहयोग और इस प्रक्रिया में विदेशों में स्थित अपने मिशनों द्वारा सहयोग के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश देगा। विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित अपने मिशनों को भी सलाह जारी करेगा कि वे भारतीय कंपनियों द्वारा कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और इस संबंध में संभावित सूचना संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा करें।

22. यूरेनियम एक सामरिक खनिज है, जिसका अधिग्रहण परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुमोदन से परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नीति/प्रक्रिया परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

23. उपर्युक्त नीति विदेशों में अधिग्रहण संबंधी ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होगी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण हैं अथवा जिनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है या समाज के सार्वजनिक हित को क्षति पहुंच सकती है।

24. लोक उद्यम विभाग इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/सीपीएसई को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकृत है। नीति में आगामी किसी भी परिवर्तन/संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

अनुबंध–I

विदेश में संयुक्त उद्यमों (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र की प्रतिलिपि

दिनांक 01 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 05/2010–11

बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर आरबीआई के विनियमों के अंतर्गत अधिग्रहण को विनियमित करने और भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के स्थानांतरण अर्थात भारतीय निकायों द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश के साथ–साथ भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर जारी किए गए शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को विनियमित करने की अपेक्षा की जाती है। विदेशों में निवेश दो तरीकों से किया जा सकता है अर्थात (i) स्वचालित मार्ग और (ii) अनुमोदन मार्ग।

2. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी भारतीय पक्षकार को विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार भारतीय पक्षकार के निबल मूल्य के 400% तक का निवेश करने की अनुमति दी गई है। निबल मूल्य के 400%की सीमा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां भारतीय पक्षकार के विनिमय अर्जक के विदेशी मुद्रा खाते में बकाया राशियों अथवा एडीआर/जीडीआर के जरिए जुटाई गई निधियों से निवेश किया जाता है। उपर्युक्त सीमा में विदेशी संयुक्त उद्यम/डब्ल्यूओएस की पूंजी, जेवी/डब्ल्यूओएस को स्वीकृत किए गए ऋण और जेवी/डब्ल्यूओएस को अथवा उनकी ओर से जारी की गई 100% गारंटियां शामिल होंगी। निवेश कुछ निश्चित शर्तों के अध्यधीन होंगे।

3. नवरत्न पीएसयू, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा तेल क्षेत्र (अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आदि के अण्वेषण और ड्रिलिंग के लिए) में विदेशों में स्थित गैर निगमित निकायों में निवेश के लिए एडी श्रेणी–I बैंकों द्वारा बिना किसी सीमा के अनुमति दी जाए। बशर्ते कि ऐसे निवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो। अन्य भारतीय कंपनियों को भी तेल क्षेत्र में कार्यरत विदेशी गैर निगमित निकायों में निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उसके निबल मूल्य के 400% तक का निवेश करने की अनुमति है। बशर्ते कि प्रस्ताव का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो और इसके समर्थन में ऐसे निवेश के अनुमोदन के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा पारित किए गए संकल्प की प्रमाणिक प्रतिलिपि संलग्न की गई हो। किसी भारतीय कंपनी के निबल मूल्य के 400% से अधिक का निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य

सभी मामलों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। ऐसे अनुमोदनों पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित घटकों पर भी विचार करेगा :

i. भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/डब्ल्यूओएस की प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता;
ii. विदेशी व्यापार और अन्य लाभों में योगदान, जो ऐसे निवेश के जरिए भारत को प्राप्त होंगे;
iii. भारतीय पक्षकार और विदेशी निकाय की वित्तीय स्थिति और व्यापारिक ट्रैक रिकॉर्ड; और
iv. भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/डब्ल्यूओएस के कार्यकलापों से जुड़े अथवा समान क्षेत्रों में भारतीय पक्षकार की विशेषज्ञता और अनुभव।

****

अनुबंध – **II**

सीपीएसई के लिए महारत्न योजना लागू करने के संबंध में डीपीई के दिनांक 04.02.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22 (1)/2009 –जीएम से लिया गया उपयुक्त सारांश

<u>महारत्न सीपीएसई को शक्तियों का प्रत्यायोजन</u> :– महारात्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं :

(i) धन संबंधी किसी भी सीमा के बिना नए आइटमों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए पूंजीगत व्यय करना।

(ii) प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यम बनाना अथवा रणनीतिक गठबंधन करना।

(iii) क्रय अथवा अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(iv) लाभ केंद्रों की स्थापना, भारत/विदेशों में कार्यालय खोलना, नए कार्यकलाप केंद्रों का सृजन आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन को लागू करना।

(v) ई–9 स्तर तक के बोर्ड स्तर से नीचे वाले पदों का सृजन करना और बोर्ड स्तर से नीचे वाले सभी पदों को समाप्त करना। निदेशक मंडल को बोर्ड स्तर से नीचे वाले सभी पदों पर सभी नियुक्तियां करने, आंतरिक स्थानांतरण लागू करने और पदनाम पुनः परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(vi) कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना।

(vii) घरेलू पूंजी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण जुटाना, किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार आरबीआई/आर्थिक कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा और यह अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(viii) वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने और भारत अथवा विदेश में उनके विलयन और अधिग्रहण के लिए इक्विटी निवेश करना, जिसकी सीमा संबंधित सीपीएसई के निबल मूल्य के 15% तक होगी और एक परियोजना में 5000 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा संबंधित सीपीएसई के निबल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगी। जहां एक ओर यह निवेश प्रत्यक्ष रूप से मूल सीपीएसई द्वारा किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामलों जहां किसी अन्य संयुक्त उद्यम में यह अपनी किसी सहायक कंपनी के जरिए निवेश का प्रस्ताव करती है, साथ ही इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पूंजी भी उपलब्ध कराती है, में उपर्युक्त विलेख मूल कंपनी के संदर्भ में होंगे।

(ix) निदेशक मंडल को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विलयन और अधिग्रहण का अधिकार होगा कि (क) यह विस्तार योजना के अनुसार किया जाना चाहिए और सीपीएसई के प्रमुख कार्य क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए और (ख) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) को भी सूचित किया जाएगा। इसके अलावा विलयन और अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित सीपीएसई की सार्वजनिक क्षेत्र में साख में कोई परिवर्तन न हो।

(x) कार्यकारी निदेशकों के मामले में सीएमडी को आपातकालीन स्थिति में 5 दिन की अवधि तक के विदेशी व्यापारिक दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि से इतर) को अनुमोदित करने का अधिकार है, परंतु इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को भी दी जाए।

(xi) धारक कंपनियों को इस शर्त के अध्यधीन अपनी सहायक कंपनियों में परिसंपत्तियों के स्थानांतरण, नए सिरे से इक्विटी शामिल करने और शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए अधिकार प्रदान करने का निश्चय किया है कि यह प्रत्यायोजन ऐसी सहायक कंपनियों के संदर्भ में होगा, जिनका गठन नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा किया जाएगा और इसके अलावा यह प्रावधान लागू होगा कि :

i. संबंधित सीपीएसई (सहायक कंपनी सहित) की सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान (साख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं की जाएगी; और

ii. ऐसे नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को अपनी सहायक कंपनियों से बाहर आने से पहले उन्हें सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) का सशक्तिकरण– नवरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार (डीपीई का दिनांक 05 अगस्त 2005 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (24)/2003–जीएम–जीएल–64

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 22 जुलाई 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/11 (2) /97–वित्त का संदर्भ देने के लिए निदेशित किया गया है, जो चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वैश्विक कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित है और जिसमें ऐसे पीएसई को बहुत सी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिनके पास वैश्विक स्तर की कंपनी के रूप में अपने आपको स्थापित करने के लिए तुलनात्मक लाभ और क्षमता मौजूद है, जिन्हें वर्तमान में नवरत्न कंपनियों के रूप में जाना जाता है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में ली गई शपथ कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत सफल एवं लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता का विकास करने दिया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवरत्न पीएसई के निदेशक मंडल को वर्तमान में प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और नीचे दिए गए ढंग से उनकी शक्तियों में विस्तार करने का निश्चय किया है:

(i) भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश की सीमा 1,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक परियोजना में पीएसई के निबल मूल्य के 15% तक होगी। सभी परियोजनाओं को मिलाकर ऐसे निवेश की समग्र सीमा पीएसई के निबल मूल्य के 30% तक होगी।

(ii) इन पीएसई के निदेशक मंडलों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विलयन और अधिग्रहण के अधिकार होंगे (i) कि यह पीएसई की विस्तार योजना के अनुसार होना चाहिए और पीएसई के प्रमुख कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, (ii) शर्तें और सीमाएं ठीक उसी प्रकार से लागू होंगी जैसे कि संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में लागू होती हैं, और (iii) विदेशों में निवेश के मामले में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति को सूचना दी जाएगी। यह डीपीई के दिनांक 11.02. 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3 (2)/2003 –डीपीई (वित्त) जीएल XVI में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया जाता है।

(iii) इन पीएसई के निदेशक मंडलों को बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियां पीएसई के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीएसई के निदेशक मंडल अथवा कार्यपालकों की उप समितियों को आगे प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।

(iv) पीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यकारी निदेशकों के मामले में आपातकालीन स्थिति में 5 दिन की अवधि तक के विदेशी व्यापारिक दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि से इतर) को अनुमोदित करने का अधिकार है, परंतु इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को भी दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विदेशी दौरों सहित अन्य सभी मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता आगे भी जारी बनी रहेगी।

3. नवरत्न का दर्जा वर्तमान में इस शर्त के अध्यधीन है कि ये पीएसई बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जब कभी भी बाह्य दाता एजेंसियों के मानक विलेखों के अंतर्गत सरकारी गारंटी आवश्यक होगी, तो यह प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी। ऐसी सरकारी गारंटी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्यायोजित की गई अन्य शक्तियां यथावत बनी रहेंगी। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा निर्धारित शर्तें और दिशानिर्देश भी यथावत बने रहेंगे और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. संबंधिक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों के ध्यान में लाएं।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) का सशक्तिकरण– मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार (डीपीई का दिनांक 05 अगस्त 2005 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (24)/2003–जीएम–जीएल–65)

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 09 अक्टूबर 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/11 (36) /97–वित्त का संदर्भ देने के लिए निदेशित किया गया है, जो लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय और प्रचालनात्मक स्वायत्ता प्रदान करने से संबंधित हैं और जिसमें मिनिरत्न पीएसई को बहुत सी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में ली गई शपथ कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत सफल एवं लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता का विकास करने दिया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को वर्तमान में प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और नीचे दिए गए ढंग से उनकी शक्तियों में विस्तार करने का निश्चय किया है

(i) पूंजीगत व्यय

(क) श्रेणी–I के अंतर्गत आने वाले पीएसई के लिए : सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति को 500 करोड़ रुपए अथवा निबल मूल्य के समतुल्य, जो भी कम है, के रूप में संशोधित माना जाए।

(ख) श्रेणी– II के अंतर्गत आने वाले पीएसई के लिए : सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति

को 250 करोड़ रुपए अथवा निबल मूल्य के 50% के समतुल्य, जो भी कम है, के रूप में संशोधित माना जाए।

(ii) संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

(क) श्रेणी–I के अंतर्गत आने वाले पीएसई के लिए : भारत में संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश की सीमा 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक परियोजना में पीएसई के निबल मूल्य के 15% के समतुल्य, होगी। सभी परियोजनाओं को मिलाकर ऐसे निवेश की समग्र सीमा पीएसई के निबल मूल्य के 30% के समतुल्य होगी।

(ख) श्रेणी– II के अंतर्गत आने वाले पीएसई के लिए : भारत में संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश की सीमा 250 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक परियोजना में पीएसई के निबल मूल्य के 15% के समतुल्य, होगी। सभी परियोजनाओं को मिलाकर ऐसे निवेश की समग्र सीमा पीएसई के निबल मूल्य के 30% के समतुल्य होगी।

(iii) इन पीएसई के निदेशक मंडलों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विलयन और अधिग्रहण के अधिकार होंगे (i) कि यह पीएसई की विस्तार योजना के अनुसार होना चाहिए और पीएसई के प्रमुख कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, (ii) शर्तें और सीमाएं ठीक उसी प्रकार से लागू होंगी जैसे कि संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में लागू होती हैं, और (iii) विदेशों में निवेश के मामले में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति को सूचना दी जाएगी। यह डीपीई के दिनांक 11.02.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3 (2)/2003 –डीपीई (वित्त) जीएल XVI में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया जाता है।

(iv) इन पीएसई के निदेशक मंडलों को बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियां पीएसई के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीएसई के निदेशक मंडल अथवा कार्यपालकों की उप समितियों को आगे प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।

(v) पीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यकारी निदेशकों के मामले में आपातकालीन स्थिति में 5 दिन की अवधि तक के विदेशी व्यापारिक दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि से इतर) को अनुमोदित करने का अधिकार है, परंतु इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को भी दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विदेशी दौरों सहित अन्य सभी मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता आगे भी जारी बनी रहेगी।

3. मिनिरत्न का दर्जा वर्तमान में इस शर्त के अध्यधीन है कि ये पीएसई बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जब कभी भी बाह्य दाता एजेंसियों के मानक विलेखों के अंतर्गत सरकारी

गारंटी आवश्यक होगी, तो यह प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी। ऐसी सरकारी गारंटी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्यायोजित की गई अन्य शक्तियां यथावत बनी रहेंगी। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा निर्धारित शर्तें और दिशानिर्देश भी यथावत बने रहेंगे और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. संबंधिक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों के ध्यान में लाएं।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) का सशक्तिकरण– लाभ कमाने वाले अन्य सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार (डीपीई का दिनांक 05 अगस्त 2005 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (24)/2003–जीएम–जीएल–66)

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 अक्टूबर 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/16 (22)/90–वित्त का संदर्भ देने के लिए निदेशित किया गया है, जो पीएसई के निदेशक मंडलों को पूंजीगत व्यय करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है ।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में ली गई शपथ कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत सफल एवं लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता का विकास करने दिया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लाभ कमाने वाले अन्य सीपीएसई के निदेशक मंडल को वर्तमान में प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और नीचे दिए गए ढंग से उनकी शक्तियों में विस्तार करने का निश्चय किया है:

(i) सरकार के अनुमोदन के बिना पूंजीगत व्यय करने की शक्ति को 150 करोड़ रुपए अथवा निबल मूल्य के 50% के समतुल्य, जो भी कम है, के रूप में संशोधित माना जाए।

(ii) पीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यकारी निदेशकों के मामले में आपातकालीन स्थिति में 5 दिन की अवधि तक के विदेशी व्यापारिक दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि से इतर) को अनुमोदित करने का अधिकार है, परंतु इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को भी दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विदेशी दौरों सहित अन्य सभी मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता आगे भी जारी बनी रहेगी।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में यथा निर्धारित शर्तें और दिशानिर्देश यथावत बने रहेंगे।

4. संबंधिक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों के ध्यान में लाएं।

****

अनुबंध – **III** क

डीपीई के दिनांक 17 जनवरी 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई 11 (32)/96– वित्त की प्रतिलिपि

विषय : प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यम में शामिल होने और रणनीतिक गठबंधन करने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए दिशानिर्देशों और मानदंडों का निर्धारण

मंत्रिमंडल के दिनांक 08.07.1997 के निर्देश के अनुक्रम में यह निश्चय किया गया कि ऐसे व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिनके अंतर्गत ओएनजीसी विदेश लिमिटेड विदेश में अपना प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये दिशानिर्देश ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यमों में शामिल होने और रणनीतिक गठबंधन करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं और निम्नानुसार हैं:

(i) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अण्वेषण, विकास और उत्पादन के क्षेत्रों में परियोजनाएं करने के लिए विदेशों में अवसरों की तलाश करेगा। ये अवसर या तो सरकार की ओर से अथवा राष्ट्रीय तेल कंपनियों अथवा निजी कंपनियों अथवा विदेशों में स्थित ऐसी कंपनियों के कंसोर्टियम की ओर से प्राप्त होंगे। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को पारदर्शी ढंग से तकनीकी आर्थिक पक्षों पर विचार करने के पश्चात इन अवसरों का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे मूल्यांकन के लिए या तो विभागीय सेवाएं लेनी चाहिए अथवा ऐसे मूल्यांकन/लेखापरीक्षा के लिए परामर्शदाता फर्मों की नियुक्ति करनी चाहिए।

(ii) ऐसा कोई भी प्रस्ताव पूरे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें अंशकालिक पेशेवर गैर सरकारी निदेशक भी उपस्थित हों। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक मंडल का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के लिए तकनीकी आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और इसके अंतर्गत सामाजिक–राजनीतिक जोखिमों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसी क्षेत्र विशेष में/देश आदि के साथ रणनीतिक प्रवेश (समझौता) पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को या तो अकेले अथवा संयुक्त उद्यमों के जरिए या अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के जरिए विदेशी अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। विदेश में ऐसे अवसरों का लाभ अंतर्राष्ट्रीय तेल उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे कि उत्पादन साझा करारों, छूट युक्त व्यवस्थाओं, सेवा संविदाओं आदि के जरिए उठाया जा सकता है। आरबीआई जैसे प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सहमति के आधार पर प्रस्ताव के फलस्वरूप इस व्यवस्था के जरिए भारतीय बाजार में पदार्पण करने के लिए किसी एमएनसी हेतु व्यापारिक अवसर की शुरूआत नहीं होनी चाहिए।

(v) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का निदेशक मंडल विदेशी उद्यमों के लिए भागीदार का चयन उसके पिछले निष्पादन, कार्य अनुभव, वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं आदि के आधार पर करेगा।

(vi) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली अण्वेषण, विकास और उत्पादन परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(vii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, कानूनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के सचिवों वाली एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन 200* करोड़ रुपयों से अधिक के वित्तीय निर्णय वाली परियोजनाओं के विचारार्थ किया जाना चाहिए। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए सीधे सीसीईए को प्रस्तुत किया जाएगा।

[* जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी 2005 के पत्र संख्या ओ–28011/11/2003–ओएनजी. II (वॉल्यूम–II) के जरिए 300 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित कर दिया गया है।]

(vii) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के विदेशों में स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के लिए भारत सरकार अथवा ओएनजीसी की ओर से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(ix) किसी भी वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में वार्षिक निवेश की मात्रा का निर्धारण ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की विदेशी परियोजनाओं के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(x) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक मंडल को वार्षिक निवेश की निर्धारित सीमा के अंदर परियोजनाओं की अनुमोदित सूची में से निधियों के संविभाजन के लिए सक्षम होना चाहिए।

(xi) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी विदेशी परियोजना के प्रबंधन और प्रचालन में कंपनी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व की सीमा उनके योगदान के अनुरूप होनी चाहिए।

(xii) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की विदेशी परियोजनाओं की प्रगति और निष्पादन की निगरानी सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, व्यय विभाग और लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

(xiii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के परामर्श से ऐसे देशों की सूची तैयार करनी चाहिए, जिनके लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास अण्वेषण, उत्पादन और विकास संबंधी परियोजनाएं शुरू करने का अधिकार होगा। इस सूची में शामिल न किए गए अन्य देशों में कोई भी अण्वेषण कार्य शुरू करने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा अलग से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

****

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी 2005 के पत्र संख्या ओ–28011/11/2003–ओएनजीसी. II (वॉल्यूम–II) के जरिए शामिल किया गया खंड निम्नानुसार हैः

''परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु मानदंड जैसे तकनीकी, कानूनी और जोखिम विश्लेषण जैसे घटकों के संबंध में अपेक्षित सावधानी और परियोजना की संपूर्ण व्यवहार्यता पर इसके प्रभाव के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों का निर्धारण परियोजना के चयन हेतु सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाए''।

****

अनुबंध – **III** ख

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 29 दिसंबर 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–28011/3/2005–ओएनजी. **II** की प्रतिलिपि

विषय : विदेशों में अण्वेषण और उत्पादन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और अन्य को निवेश संबंधी निर्णय करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और निम्नानुसार सरकार का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है:

(i) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के साथ और आईओसी के इच्छुक न होने की स्थिति में किसी अन्य नवरत्न डाउनस्ट्रीम ऑयल पीएसयू के साथ विदेश में ईएमपी परियोजनाओं के अधिग्रहण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य वाहन गठित कर सकता है;

(ii) ओआईएल और नवरत्न डाउनस्ट्रीम ऑयल पीएसयू द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की जाने वाली अण्वेषण और पूर्वानुमान (ई एंड पी) की सभी विदेशी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव विचारार्थ सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) को प्रस्तुत किए जाएंगे। ओवीएल के लिए उपलब्ध व्यवस्था इसके लिए भी लागू होगी, जिससे कि ऊपर बताए गए ऐसे एसपीवी को विदेशों में ई एंड पी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु विदेशी परियोजनाएं पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए ओवीएल के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु गठित की गई ईसीएस इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए और सीसीईए को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है;

(iii) इस प्रयोजन के लिए ओआईएल के साथ पीएसयू द्वारा बनाए गया कोई भी एसपीवी पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगा और ईसीएस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे एसपीवी का आगे कोई विस्तार नहीं किया गया था;

(iv) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेश में परियोनाओं से संबद्ध व्यापारिक जोखिमों को एसपीवी में प्रतिभागिता की सीमा तक प्रतिबंधित किया जाएगा और मूल पीएसयू को इनसे सुरक्षा दी जाएगी; और

(v) पीएसयू के बीच में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचने के प्रयोजन से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये निवेश देश के संपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों के ढांचे के अनुकूल हैं, ईसीएस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से ऐसे रणनीति तैयार करेगी, जो पीएसयू के प्रयासों के समन्वय हेतु अपनायी जाएगी।

2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.01.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई 11/96/वित्त और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 25.02.2005 के पत्र संख्या ओ–28011/11/2003–ओएनजीसी II (वॉल्यूम–II) की प्रतियां संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए संलग्न हैं।

3. यह आईएफडी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से जारी किया जाता है।

अनुबंध – **III** ग

इस्पात मंत्रालय के दिनांक 08 फरवरी 2008 के आदेश संख्या 1 (2)/99–वीएसपी की प्रतिलिपि

भारतीय इस्पात उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्तमान में इसके खपत और उत्पादन के स्तर में लगभग 13% और 7% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। नए निवेश के अलावा निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के साथ–साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टणम स्टील प्लांट) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, दोनों के द्वारा भी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। भारत का वर्ष 2019–20 तक प्रतिवर्ष 110 मिलियन टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य, जिसका निर्धारण राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 में किया गया था, को प्राप्त करने की दिशा में काफी आगे बढ़ने की संभावना है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यसमूह ने वर्ष 2012 तक प्रतिवर्ष 124 मिलियन टन स्टील प्रतिवर्ष के उत्पादन स्तर का अनुमान लगाया है।

2. इस महत्वाकांक्षी वृद्धि परिदृश्य के संदर्भ में स्टील के उत्पादन हेतु रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय महत्व का घटक है। स्टील के उत्पादन के लिए धातुकर्मीय कोयला की सुनिश्चित आपूर्ति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके अधिकांश भाग का आयात किया जाना है, क्योंकि भारतीय धातुकर्मीय कोयले की गुणवत्ता के साथ–साथ मात्रा दोनों के संदर्भ में अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसी तरह तापीय कोयला संसाधनों तक भावी अभिगम सुनिश्चित करना भी देश के लिए एक सामरिक आवश्यकता होगी क्योंकि इस्पात, विद्युत उत्पादन आदि जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के लिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

3. इन रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएसयू द्वारा विदेशों में धातुकर्मीय कोयला और तापीय कोयला परिसंपत्तियों का अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए 'कोल वेंचर्स इंटरनेशनल' नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के गठन हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया है, जिसके लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(i) सेल और आरआईएनएल की वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आवश्यकता के कम–से–कम 10% के बराबर आयातित धातुकर्मीय कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना अर्थात मध्यावधि लक्ष्य के रूप में विदेशी परिसंपत्तियों से प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन, जिसे वर्ष 2011–12 तक प्राप्त किया जाना है; जो कि आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में होगा।

(ii) वर्ष 2019–20 तक लगभग 500 मिलियन टन धातुकर्मीय कोयले के आरक्षित भंडार का स्वामी बनना; और

(iii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनन व्यवसाय के विकास और साथ ही एनटीपीसी जैसी कंपनियों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त तापीय कोयले की खरीद के लिए उनके क्षेत्रीय ज्ञान और मानव पूंजी के विस्तार और इस्तेमाल के लिए सुविधा प्रदान कर सीआईएल, एनटीपीसी और एनएमडीसी जैसी अन्य प्रतिभागी कंपनियों की संगठनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना।

4. इस एसपीवी अर्थात 'कोल वेंचर्स इंटरनेशनल' को औपचारिक रूप से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए बिना एक नवरत्न कंपनी की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। विदेशों से कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति के अभिगम और अधिग्रहण के लिए कोल वेंचर्स इंटरनेशनल संभावित मार्ग, अन्य नवाचारी पद्धतियों के साथ–साथ बाजार प्रचालन जैसी बहुत सी रणनीतियों को लागू करेगा।

5. 10,000 करोड़ रुपए तक की आरंभिक प्राधिकृत पूंजी और 3500 करोड़ रुपए तक की आरंभिक इक्विटी पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में एसपीवी के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपर्युक्त पूंजी का अंशदान निवेश के अवसरों के आधार पर प्रगतिशील ढंग से इसमें शामिल सदस्यों द्वारा किया जाएगा, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र से निम्नलिखित इक्विटी भागीदार शामिल होंगे : सेल (1000 करोड़ रुपए), आरआईएनएल (500 करोड़ रुपए), सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड (1000 करोड़ रुपए), एनटीपीसी (500 करोड़ रुपए) और एनएमडीसी (500 करोड़ रुपए) । साथ ही आवश्यकता होने पर इसमें निजी क्षेत्र के भागीदारों को भी शामिल करने के लिए आकस्मिक प्रावधान किया गया है। इस एसपीवी को औपचारिक रूप से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए बिना नवरत्न कंपनियों को वर्तमान में दी गई स्वायत्ता और स्वतंत्रता दी जाएगी।

6. यदि कोल वेंचर्स इंटरनेशनल के निवेश प्रस्ताव प्रत्येक मामले में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का होता है, तो सरकार ने धातुकर्मीय और तापीय कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु विदेश में ऐसे निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है; परंतु इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक मामले में इस समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए सीधे मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

7. सचिवों की इस अधिकार प्राप्त समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :

i.	सचिव (इस्पात मंत्रालय)	–	अध्यक्ष
ii.	सचिव (वित्त मंत्रालय)	–	सदस्य
iii.	सचिव (विदेश मंत्रालय)	–	सदस्य
iv.	सचिव (विद्युत मंत्रालय)	–	सदस्य
v.	सचिव (कोयला मंत्रालय)	–	सदस्य
vi.	सचिव (खान मंत्रालय)	–	सदस्य
vii.	सचिव (कानून मंत्रालय)	–	सदस्य
viii.	सचिव (लोक उद्यम विभाग)	–	सदस्य

8. इस्पात मंत्रालय (वीएसपी डेस्क) सचिवों की इस अधिकार प्राप्त समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुबंध – **III** घ

कोयला मंत्रालय के दिनांक 09.09.2009 के पत्र संख्या 13011/07/2007–सीए–**II** की प्रतिलिपि

विषयः विदेश में निवेश करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावों पर विचार करने और सिफारिश करने के अधिदेश के साथ सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन

मुझे उपर्युक्त विषय पर सीआईएल के दिनांक 31.07.2000 के पत्र संख्या सीआईएल सीवी.07–08ः एमओसीः 454 और दिनांक 04.06.2007 के पत्र संख्या सीआईएल सीवी.07–08ः एमओसीः 10:155 का संदर्भ देने और निम्नलिखित पैराओं में यथाविहित ढंग से विदेश में निवेश करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावों पर विचार करने और सिफारिश करने के अधिदेश के साथ सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है :

i. विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु सेल/आरआईएनएल/एनटीपीसी/एनएमडीसी/सीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए एसपीवी द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पहले गठित की गई सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों में सीआईएल के निवेश संबंधी ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार करेगी, जो सीआईएल के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए सीसीईए के समक्ष रखा जाएगा। उपर्युक्त समिति में योजना आयेाग के भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

ii. सचिवों की वर्तमान अधिकार प्राप्त समिति में इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।

2. सीआईएल का निदेशक मंडल निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अध्यधीन विदेश में निवेश के लिए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर सकता है:

(i) सीआईएल अण्वेषण, विकास और उत्पादन के क्षेत्रों में परियोजनाएं करने के लिए विदेशों में अवसरों की तलाश करेगा। ये अवसर या तो सरकार की ओर से अथवा राष्ट्रीय कोयला कंपनियों अथवा निजी कंपनियों अथवा विदेशों में स्थित ऐसी कंपनियों के कंसोर्टियम की ओर से प्राप्त होंगे। सीआईएल को पारदर्शी ढंग से तकनीकी आर्थिक पक्षों पर विचार करने के पश्चात इन अवसरों का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे मूल्यांकन के लिए या तो विभागीय सेवाएं लेनी चाहिए अथवा ऐसे मूल्यांकन/लेखापरीक्षा के लिए परामर्शदाता फर्मों की नियुक्ति करनी चाहिए।

(ii) ऐसा कोई भी प्रस्ताव पूरे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें अंशकालिक पेशेवर गैर सरकारी निदेशक भी उपस्थित हों। सीआईएल के निदेशक मंडल का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के लिए तकनीकी आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और इसके अंतर्गत सामाजिक–राजनीतिक जोखिमों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसी क्षेत्र विशेष में/देश आदि के साथ रणनीतिक प्रवेश (समझौता) पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) सीआईएल को या तो अकेले अथवा संयुक्त उद्यमों के जरिए या अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के जरिए विदेशी अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। विदेश में ऐसे अवसरों का लाभ अंतर्राष्ट्रीय तेल उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे कि उत्पादन साझा करारों, छूट युक्त व्यवस्थाओं, सेवा संविदाओं आदि के जरिए उठाया जा सकता है। आरबीआई जैसे प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का सीआईएल द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) सीआईएल का निदेशक मंडल विदेशी उद्यमों के लिए भागीदार का चयन उसके पिछले निष्पादन, कार्य अनुभव, वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं आदि के आधार पर करेगा।

(v) सीआईएल के निदेशक मंडल को देश के बाहर परियोजनाओं में निवेश के लिए समय–समय पर यथा निर्धारित सीमाओं तक निवेश वाली अण्वेषण, विकास और उत्पादन परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(vi) विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु सेल/आरआईएनएल/एनटीपीसी/एनएमडीसी/सीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए एसपीवी द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पहले गठित की गई सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों में सीआईएल के निवेश संबंधी ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार करेगी, जो सीआईएल के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं। विदेश में निवेश के लिए ऐसे प्रस्तावों को अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए और अनुमोदन के लिए सीसीईए के समक्ष रखा जाएगा।

(vii) सीआईएल के विदेशों में स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के लिए भारत सरकार अथवा ओएनजीसी की ओर से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(viii) किसी भी वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में वार्षिक निवेश की मात्रा का निर्धारण सीआईएल की विदेशी परियोजनाओं के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ix) सीआईएल के निदेशक मंडल को वार्षिक निवेश की निर्धारित सीमा के अंदर परियोजनाओं की अनुमोदित सूची में से निधियों के संविभाजन के लिए सक्षम होना चाहिए।

(x) सीआईएल का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी विदेशी परियोजना के प्रबंधन और प्रचालन में कंपनी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व की सीमा उनके योगदान के अनुरूप होनी चाहिए।

(xi) सीआईएल की विदेशी परियोजनाओं की प्रगति और निष्पादन की निगरानी सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, व्यय विभाग और लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

(xii) कोयला मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के परामर्श से ऐसे देशों की सूची तैयार करनी चाहिए, जिनके लिए सीआईएल के पास अण्वेषण, उत्पादन और विकास संबंधी परियोजनाएं शुरू करने का अधिकार होगा। इस सूची में शामिल न किए गए अन्य देशों में कोई भी अण्वेषण कार्य शुरू करने के लिए सीआईएल द्वारा अलग से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(xiii) इस मामले के संबंध में की गई कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, यदि कोई है, यथाशीघ्र इस मंत्रालय को सूचित की जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 16 (4)/2010–जीएम, दिनांक 24 अक्तूबर, 2011)

****